

Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:22173

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या.- 10772/2025

जमाल अहमद उर्फ माने

..... आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, सिविल सचिवालय, लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता :- अतुल तिवारी, दीपक वर्मा, इरफान आलम, उत्कर्ष

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

1. आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि गैंग चार्ट में आवेदनकर्ता के विरुद्ध चार मामले दर्शाए गए हैं। उन सभी मामलों में आवेदनकर्ता को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। जमानत के आदेश अभिलेख पर उपलब्ध हैं। उक्त मामलों के अतिरिक्त, आवेदनकर्ता के विरुद्ध कोई अन्य मामला लंबित नहीं है। आवेदनकर्ता दिनांक 6.9.2025 से जेल में निरुद्ध हैं।

सह-अभियुक्त श्रीमन नारायण शुकला को भी आदेश (संलग्नक-4) के माध्यम से जमानत प्रदान की जा चुकी है।

यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकताओं के अनुसार वचनपत्र प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदनकर्ता के न्यायिक अभिरक्षा से फरार होने या गवाहों को डराने-धमकाने की कोई संभावना नहीं है। यदि

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

आवेदनकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

3. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और साथ ही आरोपों की प्रकृति, इस तथ्य कि आवेदनकर्ता को गैंग चार्ट में दर्शाए गए मामलों में जमानत पर रिहा किया जा चुका है, सह-अभियुक्त के जमानत आदेश, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों, आवेदक की जेल में निरुद्ध अवधि को दृष्टिगत रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदनकर्ता को जमानत पर रिहा करने के लिए इसे एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

आवेदक **जमाल अहमद उर्फ माने**, जो थाना तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर के अपराध संख्या 116/2025, अंतर्गत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से संबंधित है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध-पत्र और उसी समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नवत शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए, जो न्याय हित में अधिरोपित की जा रही हैं:-

(i) आवेदनकर्ता विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदनकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदनकर्ता इस आशय का एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत उन तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों।

(iv) आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकता के अनुसार एक वचनपत्र भी दाखिल करेगा कि वह किसी भी (अन्य) मामले में संलिप्त नहीं होगा और न ही जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

(v) इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(vi) कोई भी अन्य शर्त जिसे विचारण न्यायालय उचित और उपयुक्त समझे, वह भी अधिरोपित की जा सकती है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

मार्च 30, 2026

केकेबी

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”